सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 158/2019 दायर दिनाँक 04.07.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. हड़मानराम पुत्र रामूराम जाति जाट, निवासी–बावड़ी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अर्जुन राम पुत्र सुखाराम 2. देवराम पुत्र सुखाराम 3. मोहनराम पुत्र पोकर राम 4. राजेश पुत्र पोकर राम 5. मोतीराम पुत्र हरलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बावड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.। 6. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, विनिमय व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी वकील वादीगण
2. श्री हरफुल राव वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 03

–:: निर्णय ::–

दिनाँक :– 04.03.2020

यह है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 222 रकबा 09 बीघा तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीघा वाके सरहद ग्राम बावड़ी पटवार हल्का रसीदपुरा में अवस्थित है। नकल खतौनी व रेवन्यू ट्रेश नक्शा पेश है।

वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 222 रकबा 09 बीघा की खातेदारी राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से अंकित है तथा खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीघा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान् 222 रकबा 09 बीघा पर पीछले 30–40 वर्षो से कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। तथा खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीघा पर कब्जा काश्त वादी हड़मानराम का चला आ रहा है। तथा उसी अनुरूप खसरा नम्बर 222 रकबा 09 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पर प्रतिवादीगण काबीज है तथा खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीघा पर वादी हड़मानराम काबीज है तथा अपने अपने हिस्से की कब्जा शुदा भूमि पर काश्त करते है।

उपरोक्त खसरा नम्बर 222 रकबा 09 बीघा तथा खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीघा में राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारीयों की गलती से राजस्व अभिलेख में खातेदारी का अंकन गलत रूप से हो गया। जबकी वास्तव में खसरा नम्बर 222 रकबा 09 बीघा में खातेदारी प्रतिवादीगण की अंकित होना चाहिये थी तथा खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीधा में खातेदारी वादी हड़मानराम कि अंकित होनी चाहिये थी ऐसा नही होने के कारण वादी को श्रीमान् के समक्ष यह वाद रिकॉर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

पक्षकारान अपने अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज है तथा उसी अनुरूप काश्त कार्य करते है परन्तु राजस्व अभिलेख में अंकन सही नहीं होने के कारण आपस में विवाद रहता है इसलिए खेत खसरा नम्बर 222 रकबा 09 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम तथा खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीघा कि खातेदारी वादी के नाम घोषित किया जाना तथा खसरा नम्बर 262/222 में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाना तथा उनके स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 222 में प्रतिवादीगण का नाम अंकित किया जाना तथा वादी का नाम हटाया जाना आवश्यक है।

यह है कि प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

(i) यह है कि खसरा नम्बर 262/222 रकबा 09 बीघा में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से खातेदारी अंकन किया जावें तथा खसरा नम्बर 222 रकबा 09 बीघा में से वादी का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी अंकन कि जावे। इस आश्य कि डिक्री जारी करने की कृपा करावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

(ii) यह है कि अन्य कोई उचित अनुतोष जो वादी के हित व लाभ का हो कि डिक्री भी वादी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें। इति

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 04 ता 06 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 160/2019
दायर दिनाँक 04.07.2019, निर्णय दिनाँक 04.03.2020
हडमानराम बनाम अर्जुनराम, वगैरा।

लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 01 ता 03 ने इकबालिया जवाब पेश किया। तहसीलदार डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 222 रकबा 09 बीघा वादी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा सं0 262/222 रकबा 09 बीघा प्रतिवादी सं0 01 ता 05 की खातेदारी में दर्ज है। खसरा सं0 222 व 262/222 का रकबा व भूमि की किस्म एक समान है। दोनों खसरें असिंचित है। दोनों खसरों पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है तथा खसरों का वर्तमान बाजार दर मूल्य एक समान है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही जाति के सदस्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। तहसीलदार डीडवानाकी रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 222 व 262/222 का रकबा व भूमि की किस्म एक समान है। दोनों खसरें असिंचित है। दोनों खसरों पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है तथा खसरों का वर्तमान बाजार दर मूल्य एक समान है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही जाति के सदस्य है। समान किस्म व समान रकबा होने के कारण वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद विवेचन दावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद वावड़ी के खसरा सं0 262/222 रकबा 09 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से प्रतिवादी सं0 01 ता 05 का नाम हटाया जाता है तथा वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा खसरा सं0 222 रकबा 09 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से वादी का नाम हटाया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 05 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.03.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 158/2019 दायर दिनाँक 04.07.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. हड़मानराम पुत्र रामूराम जाति जाट, निवासी–बावड़ी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. अर्जुन राम पुत्र सुखाराम 2. देवराम पुत्र सुखाराम 3. मोहनराम पुत्र पोकर राम 4. राजेश पुत्र पोकर राम 5. मोतीराम पुत्र हरलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बावड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.। 6. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, विनिमय व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 04.03.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थौरी, वकील, वादी व श्री हरफुल राव वकील प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाके सरहद बावड़ी के खसरा सं0 262/222 रकबा 09 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से प्रतिवादी सं0 01 ता 05 का नाम हटाया जाता है तथा वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा खसरा सं0 222 रकबा 09 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से वादी का नाम हटाया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 05 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................. ...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.03.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.03.06 15:42:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: